भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 850
दिनांक 07.02.2023/18 माघ, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

नागरिकता प्रमाणपत्र

†850. श्री विनसेंट एच. पाला:

श्री गौरव गोगोईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात के दो और जिलों मेहसाणा और आणंद के जिला कलेक्टरों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिन्दू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदायों के सदस्यों को नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान करने के अधिकार प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर उपरोक्त धर्मों के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए गुजरात में विशेषकर उपर्युक्त जिलों को चुनने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): जी हाँ। केंद्र सरकार ने, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के तहत प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए गुजरात के मेहसाणा तथा आनंद सहित 31 जिलों के कलेक्टरों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई से संबंधित व्यक्तियों के नागरिकता आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है। इन शक्तियों के प्रत्यायोजन का उद्देश्य ऐसे विदेशियों के नागरिकता आवेदनों का त्वरित निस्तारण करना है ताकि प्रत्येक मामले की जांच के बाद जिला स्तर पर ही निर्णय लिया जा सके। आवेदकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिलों का चयन किया गया है।

******